भोपाल दिनांक, 13 अप्रैल, 2012

क्रमांक – 1191/म.प्र.विनिआ/2012. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61, 62, 86 तथा 181 (2) (जेडपी) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 26 सहपठित धारा 55 द्वारा इस संबंध में समस्त प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012)

प्रस्तावना

जबकि, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 24 तथा 25 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 तथा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए अन्तरण योजना नियम 2003, (Transfer Scheme Rules, 2003) यथासंशोधित जारी किये गये हैं जिनके अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ('मण्डल') द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण, सम्पत्ति के हित, अधिकारों तथा दायित्वों एवं कार्मिकों के अलावा मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में निबंधन तथा शर्तों का प्रावधान भी किया गया है;

तथा जबकि, उत्तराधिकारी इकाईयों द्वारा मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के समस्त कार्मिकों को पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की स्वीकृति के बारे में एक संयुक्त याचिका दायर की गई थी;

तथा जबकि, याचिकाओं का निपटान करते समय, आयोग द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि इस विषय को टैरिफ विनियमों से असंबद्ध किये जाने के प्रयोजन से पृथक विनियम बनाये जाएं;

अतएव आयोग एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार, टैरिफ अवधारण के माध्यम से पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं तथा इन दायित्वों के निधीयन हेतु निम्न विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त शीर्षक, तथा प्रारंभ** : 1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जी– 38 , वर्ष 2012)"** कहलाऐंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे। टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से इसके उपबंध, इसके प्रकाशन वर्ष के अनुवर्ती वित्तीय वर्ष से प्रभावशील होंगे ।

1.3 ये विनियम ऐसे समस्त कार्मिकों को लागू होंगे जैसा कि इन्हें, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अन्तरण योजना नियम, 2003 (MadhyaPradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003) जैसा कि इसे दिनांक 13.06.2005 को संशोधित किया गया है, के नियम 3(एम) तथा विद्यमान पेंशनभोगियों हेतु नियम 7(ii) में परिभाषित किया गया है ।

2. **परिभाषाएं :**

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :

(क) "मण्डल (Board)" का तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (Madhya Pradesh State Electricity Board) से है;

(ख) "विद्यमान पेंशनभोगी/पेंशन भोगियों (Existing Pensioner(s))" का तात्पर्य दिनांक 1.6.2005 की स्थिति में विद्यमान समस्त पेंशनभोगी/पेंशनभोगियों से है;

(ग) "पेंशनभोगी/पेंशनभोगियों (Pensioner(s))" का तात्पर्य ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों से है जो उनकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैं तथा इनमें दिवंगत कार्मिकों के ऐसे पारिवारिक सदस्य भी शामिल होंगे जो नियमों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैं;

(घ) "कार्मिक (Personnel) से तात्पर्य मण्डल के श्रमिकों (workmen), कर्मचारियों (employees) पदाधिकारियों (staff), अधिकारियों (officers), प्रशिक्षुओं (trainees) से है, भले ही उन्हें किसी भी नाम से संबोधित किया गया हो तथा इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो दिनांक 1.6.2005 को अन्य संगठनों तथा संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे तथा जो उनकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैं;

(ङ) "उत्तराधिकारी इकाइयों (Successor Entities)" का तात्पर्य मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड या अन्य कोई शासकीय स्वामित्व वाली इकाई जिसके अन्तर्गत यथासंशोधित अन्तरण योजना, के अनुसार कार्मिकों का स्थानान्तरण कर दिया जाए या अन्य कोई उत्तराधिकारी इकाई जिसमें मण्डल की सम्पत्ति, सम्पत्ति के हित, अधिकार तथा दायित्व वेष्ठित किये गये हों;

(च) "सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits)" से तात्पर्य उपदान (gratuity), पेंशन (Pension), मंहगाई राहत (dearness relief) तथा अन्य प्रयोज्य राहत, चिकित्सा प्रसुविधा (medical benefit) तथा अन्य प्रयोज्य प्रसुविधाओं से हैं, जिनमें मण्डल में पूर्व में प्रचलित पद्धति के अनुरूप उपरोक्त प्रसुविधाओं से समुचित पुनरीक्षणों के अनुरूप संबंधित अधिकार भी शामिल होंगे;

(2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों में परिभाषित किया गया है, वहीं अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम/नियमों/विनियमों में इनके बारे में निर्दिष्ट किया गया हो ।

पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं का निधियन (Funding of pension and other Terminal Benefits)

(1) मण्डल के विद्यमान पेंशनभोगियों तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए, कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के निधीयन की स्वीकृति इन विनियमों में निर्दिष्ट की गई विधि के अनुसार आयोग द्वारा उत्तराधिकारी इकाईयों के संबंध में समय–समय पर अवधारित टैरिफ के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।

(2) मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के पेंशनभोगियों तथा कार्मिकों के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के बारे में दायित्व में निम्न मदें शामिल होंगी :

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियम 3 (8) के उपबंध के अध्यधीन विद्यमान पेंशनभोगियों को सम्मिलित करते हुए समस्त पेंशनभोगियों को भुगतान किये जाने हेतु रोकड़ बाह्य प्रवाह (Cash outflow);

(ii) मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों के संबंध में दिनांक 31.3.2005 तक, दोनों सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों के संबंध में, उनकी समस्त भूतकालिक सेवाओं के बारे में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष (Pension and Terminal Benefit Trust Fund) हेतु किये जाने वाले अंशदान जो मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के आधार पर किये गये हों; तथा

(iii) दिनांक 1.6.2005 के बाद, वर्ष दर वर्ष आधार पर, मण्डल तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के सेवारत कार्मिकों की चालू सेवाओं के बारे में किये गये अंशदान जो मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के आधार पर किये गये हों ।

(3) विद्यमान पेंशनभोगी, जो दिनांक 1.6.2005 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से संबंधित उपरोक्त उपकण्डिका (2) (i) में उल्लेखित दायित्वों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा इस हेतु वांछित भुगतान राशि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के सुसंबद्ध वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी ।

(4) उत्तराधिकारी इकाईयों से संबंधित 01.06.2005 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों से संबंधित उपरोक्त कण्डिका (2) (i) में उल्लेखित दायित्वों को तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा दिनांक 1.6.2005 के बाद प्रदान की गई सेवाओं हेतु वांछित भुगतान राशि सुसंबद्ध वर्ष हेतु ऐसी उत्तराधिकारी इकाई की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं का भाग होगी ।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से संबंधित 01.06.2005 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों से संबंधित उपरोक्त कण्डिका (2)(i) में उल्लेखित दायित्वों को तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा दिनांक 1.6.2005 के बाद प्रदान की गई सेवाओं हेतु वांछित भुगतान राशि सुसंबद्ध वर्ष हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं का भाग होगी ।

बशर्ते यह कि मण्डल तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के कार्मिकों से संबंधित ऐसे समस्त दायित्वों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा तथा इस हेतु वांछित भुगतान राशि सुसंबद्ध वर्ष हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी ।

बशर्ते यह भी कि उपरोक्त उप–परिच्छेद 1 तथा 2 में उल्लेखित मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी तथा अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के मध्य दायित्वों का विभाजन मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा किये गये जीवनांकिक विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त उप कण्डिका (2) (ii) के संबंध में किये जाने वाले अंशदान के संबंध में दायित्वों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के सुसंबंद्ध वर्ष के टैरिफ में स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा के बारे में निर्णय, वित्तीय प्रभाव के विस्तृत आकलन, पारेषण प्रभारों पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य खुदरा टैरिफ के परिणामी प्रभाव के आधार पर आयोग द्वारा सुसंबद्ध टैरिफ आदेश में लिया जाएगा ।

(6) उपरोक्त उप कण्डिका (2) (iii) के संबंध में किये जाने वाले अंशदान के संबंध में दायित्वों को तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों के सुसंबंद्ध वर्ष के टैरिफ में स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा के बारे में निर्णय, वित्तीय प्रभाव के विस्तृत आकलन, पारेषण प्रभारों, विद्युत उत्पादन लागत, वितरण लागत पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य खुदरा टैरिफ के परिणामी प्रभाव के आधार पर आयोग द्वारा सुसंबद्ध टैरिफ आदेश में लिया जाएगा :

बशर्ते यह कि मण्डल तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के संबंध में अवशेष धारित किये गये कार्मिकों के संबंध में ऐसे समस्त दायित्व मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के टैरिफ में स्वीकार किये जाएंगे तथा इस प्रयोजन से सुसंबंद्ध वर्ष हेतु वांछित भुगतान की राशि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होगी जैसे कि वे कथित कम्पनी के कार्मिक हैं ।

(7) रोकड़ बाह्यप्रवाह (cash outflow) की पूर्ति के संबंध में स्वीकार किये जाने वाले दायित्वों की राशि तथा अंशदान, जैसा कि इसका उल्लेख पूर्व में किया गया है, आयोग की युक्तियुक्त जांच के अध्यधीन होंगे तथा ये मदें आगे भी राजस्व आवश्यकताओं के सत्यापन के समय की जाने वाली समीक्षा के अध्यधीन होंगी ।

(8) मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के समस्त कार्मिक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हों या सेवारत हो, के पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु वार्षिक रोकड़ बाह्य प्रवाह की पूर्ति के संबंध में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष (Pension and Terminal Benefit Fund) के पूर्णतः तथा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध किये जाने पर रोकड़ बाह्य प्रवाह की पूर्ति के संबंध में रोकड़ अंशदान, जैसा कि इसे उपरोक्त दर्शायी गई कण्डिका (2) (i) में प्रवेक्षित किया गया है, का समापन हो जाएगा तथा इसके पश्चात किये जाने वाले समस्त अंशदान कार्मिकों की सेवा के प्रति प्रत्येक वर्ष हेतु अंशदान के जीवनांकिक विश्लेषण पर आधारित तथा समय-समय पर किये गये जीवनांकिक विश्लेषण पर आधारित न्यास कोष (ट्रस्ट फंड) में किसी कमी (shortfall) या घाटे की पूर्ति हेतु न्यास कोष के निधीयन (funding) हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे।

(9) ऐसे अंशदान, जिनका उल्लेख उपरोक्त परिच्छेदों के अन्तर्गत किया गया है, को टैरिफ के पृथक मद के रूप में माना जाएगा, जिन्हें उपरोक्त दर्शाई गई तत्संबंधी उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु टैरिफ या प्रभारों या अतिरिक्त राशि (margin) से प्रभिन्न, जिसके लिये इकाई उसके कृत्यों तथा गतिविधियों के प्रति विद्युत अधिनियम, 2003 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा इनके अन्तर्गत संरचित किये गये नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत अधिकृत है, स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

4. **समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency)** : (1) इन विनियमों के अन्तर्गत पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा न्यास कोष के अंशदान के प्रति समस्त उद्देश्यों तथा प्रयोजन से इसके क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड समन्वयन अभिकरण होगा ।

(2) मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के प्रतिनिधियों तथा कार्मिकों के साथ पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु कोष के प्रबंधन तथा संचालन से संबंधित समस्त विषयों के बारे में ऐसे कोष हेतु शासित प्रयोज्य विधि के अनुसार पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु समन्वयन करेगी ।

5. **कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां** : यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को मूर्तरूप देने में कठिनाई आती है तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई भी सुधार भले वह अधिनियम के किसी प्रावधान से युक्तियुक्त न हो, जो आवश्यक प्रतीत होता हो अथवा कठिनाइयों को दूर करने में वांछनीय हो, संबंधी कार्यवाही कर सकेगा।

6. **संशोधन की शक्ति** : आयोग किसी भी समय विनियमों में उपबंधों को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने तथा परिवर्तन करने के लिये अधिकृत होगा ।

No. 1191/MPERC/2012 - In exercise of the powers under Section 61, 62, 86 and 181 (2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and Section 26 read with Section 55 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely :

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOWING PENSION AND TERMINAL BENEFITS LIABILITIES OF PERSONNEL OF THE BOARD AND SUCCESSOR ENTITIES) REGULATIONS, 2012 (G-38 of 2012)

PREAMBLE

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh has issued the Transfer Scheme Rules, 2003, as amended, in exercise of powers under Sections 23, 24 and 25 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 and Sections 131 and 133 of the Electricity Act, 2003, providing for the terms and conditions for transfer of property, interest in property, rights and liabilities as well as the personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board (**'Board'**), including in regard to the pension and terminal benefits related to both serving and retired personnel of the Board and its Successor Entities;

AND WHEREAS, the Successor Entities filed a combined petition for allowing pension other terminal benefits to all personnel of the Board and it's Successor Entities;

AND AHEREAS, the Commission while disposing of the Petitions directed that separate Regulations be made for this purpose delinking it from Tariff Regulations;

NOW THEREFORE the Commission hereby makes the following Regulations, on the matters relating to pension and terminal benefit liabilities and the funding of such liabilities through tariff determined as per the provisions of the Electricity Act, 2003 read with the applicable provisions of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000:

1. **Short title and commencement** – 1.1 These Regulations shall be called the **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Allowing Pension and Terminal Benefits Liabilities of Personnel of the Board and Successor Entities) Regulations, 2012 (G-38 of 2012)"**.

1.2 These Regulations shall come into force with immediate effect from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh. For tariff determination purposes its provisions will be given effect to in the financial year following the year of its publication.

1.3 These Regulations shall apply to all Personnel as defined in Rule 3(m) and also to existing pensioners as defined in Rule 7(11) of the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003 as amended on 13.06.2005.

2. **Definitions:**

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Board" shall mean the Madhya Pradesh State Electricity Board;

(b) "Existing Pensioner(s)" shall mean all Pensioner(s) as on 1.6.2005 ;

(c) "Pensioner(s)" shall mean retired Personnel entitled to pension and other terminal benefits as per terms of their appointment and shall include such family members of deceased Personnel who are entitled to pension and other terminal benefits as per rules;

(d) "Personnel" shall mean workmen, employees, staff, officers and trainees of the Board by whatever name called and including those on deputation to other organisations and institutions as on 1.6.2005 and who are entitled for pension and other terminal benefits as per terms of their appointment;

(e) "Successor Entities" shall mean the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, the Madhya Pradesh Power Generating Company Limited, the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, the Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited, the Madhya Pradesh Power Management Company Limited or any other Government owned entity to which the personnel are transferred and any other successor entity in which the property, interest in property, rights and liabilities of the Board are re-vested in accordance with the Transfer Scheme, as amended from time to time;

(f) "Terminal Benefits" shall mean the gratuity, pension, dearness relief and other applicable relief, medical benefit and other applicable benefits including the

right to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the Board.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) or Rules or Regulations made thereunder shall have the meaning respectively assigned to them in the Act/ Rules/ Regulations.

3. **Funding of Pension and other Terminal Benefits:** (1) The funding of pension and other terminal benefits in respect of Personnel including Existing Pensioners of the Board and the Pensioners of its successor entities shall be allowed in the manner provided for in these Regulations through tariff to be determined by the Commission for the Successor Entities from time to time.

(2) The liability towards the pension and other Terminal Benefits of the Pensioners and Personnel of the Board and its Successor Entities shall comprise of the following:

(i) cash outflow in each fiscal year for making payment to all the Pensioners including Existing Pensioners subject to the provision of Regulation 3 (8);

(ii) contributions to be made for Pension and Terminal Benefit Trust Fund for all the past services till 31.5.2005 of the Personnel of the Board and its successor entities, both retired and in service, based on actuarial analysis undertaken by Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited from time to time as per the directions of the Commission; and

(iii) contributions for the current service of the serving Personnel of the Board and the successor entities, for the period 1.6.2005 onwards on a year to year basis as per the actuarial analysis undertaken by the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited from time to time as per the directions of the Commission.

(3) The liabilities referred to in sub-clause (2) (i) above related to the existing pensioners namely those who have retired from service upto 01.06.2005 shall be allowed as a pass through in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for this purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year.

(4) The liabilities referred to in sub-clause (2) (i) above related to the Personnel who retire from the services after 01.06.2005 shall be allowed as a pass through in the tariff of the respective successor entities and the payment required for the purpose

shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of such successor entity in the relevant year for the period of service rendered after 01.06.2005.

The liabilities referred to in sub-clause (2) (i) above related to the Personnel who retire from the services after 01.06.2005 shall be allowed as a pass through in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for the purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year for the period of service rendered up to 01.06.2005:

Provided that all such liabilities related to the Personnel of the Board and Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall be allowed as a pass through in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for the purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year, as if they are the Personnel of the said company:

Provided further that apportionment of liabilities amongst MP Power Transmission Company and other successor entities mentioned in sub-para 1 and 2 above shall be as determined through actuarial analysis undertaken by MP Power Transmission Company.

(5) The liabilities in regard to the contribution to be made under sub-clause (2) (ii) above shall be allowed in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year limited to the extent to be decided by the Commission in the relevant tariff order based on a comprehensive assessment of financial implications thereof, its effect on transmission charges and consequent effect on retail tariff payable by the consumers.

(6) The liabilities in regard to the contribution to be made under sub-clause (2) (iii) above shall be allowed in the tariff of respective Successor Entities in the relevant year limited to the extent to be decided by the Commission in the relevant tariff order based on a comprehensive assessment of financial implications thereof, its effect on transmission charges, generation cost, distribution cost and consequent effect on retail tariff payable by the consumers:

Provided that all such liabilities related to the balance Personnel retained in the Board and Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall be allowed in the tariff of the Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and the payment required for the purpose shall form part of the Aggregate Revenue Requirements of Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited in the relevant year, as if they are the Personnel of the said company.

(7) The amount to be allowed as liabilities for meeting the cash outflow and the contribution referred to above shall be subject to prudence check by the Commission and shall further be subject to further review at the time of the truing up of the revenue requirements.

(8) Upon the Pension and Terminal Benefit Trust Fund being fully and adequately funded to meet the annual cash outflow for payment of pension and other Terminal Benefits of all the Personnel of the Board and the successor entities, both retired and in service, the cash contribution for meeting such cash outflow as envisaged in sub clause (2) (i) herein above, shall terminate and thereafter all contributions shall be towards funding the trust fund based on actuarial analysis of the contributions to be made for each year, for the service of the Personnel and for the shortfall or deficit in the trust fund based on actuarial analysis from time to time.

(9) The contributions as mentioned herein above shall be treated as a separate item of tariff to be allowed to the respective successor entities mentioned above, distinct from the tariff or charges or margin which the entity is entitled to for its functions and activities in terms of the provisions of the Electricity Act, 2003, the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 and the Rules and Regulations framed thereunder.

4. **Nodal Agency:** (1) The Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited shall be the Nodal Agency for all intent and purpose to implement the Pension and Terminal Benefits Trust Funds contributions under these Regulations.

(2) The Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited shall coordinate with the representatives of other Successor Entities as well as the Personnel for all matters

relating to management and administration of the funds for the pension and terminal benefits in accordance with the applicable law governing such funds.

5. **Power to remove difficulties:** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

6. **Power to amend:** The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.